


# भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय

## शांति मार्ग श्यामला हिल्स भोपाल



Website: www.bsgmp.net\_mail: bsgmadhypradesh@gmail.com, phone 2661263, fax: 2737446

क्रमांक/2750/रा.मु./स्था./लेखा/2018

भोपाल दिनांक 6/9/18

### आदेश

म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्र./एफ./11-12/2010/नियम/चार, दिनांक 05.09.12 के संन्दर्भ में इस संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय यात्रा भत्ते/स्थानीय यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्तों की दरों में संस्था के आदेश क्रमांक 10322/आडिट/रा.मु./2014, दिनांक 01.08.2014 द्वारा संशोधन किया गया था।

इसी क्रम में म.प्र.शासन वित्त विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/4-2/2016/नियम/चार दिनांक 05.11.2016 द्वारा यात्रा भत्ते की दरों में पुनः संशोधन किया गया है। अतएव संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व में स्वीकृत यात्रा भत्ते/स्थानीय यात्रा भत्ते एवं अन्य भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

(01) अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्गीकरण - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले ग्रेड वेतन के आधार पर शासकीय सेवकों को यात्रा भत्ता के समस्त प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार 05 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है -

श्रेणी	ग्रेड वेतन
ए.	रु. 7600 एवं अधिक
बी.	रु. 6600 एवं अधिक पर रु. 7600 से कम
सी.	रु. 4200 एवं अधिक पर रु. 6600 से कम
डी.	रु. 2400 एवं अधिक पर रु. 4200 से कम
ई.	रु. 2400 से कम

### (02) दैनिक भत्ता -

पूर्व में संस्था द्वारा स्वीकृत दरें			संशोधित दरें, स्वीकृति योग्य		
श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के 04 बड़े नगरों की दरें	साधारण दर	प्रदेश के 04 बड़े नगरों की दरें एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों के लिए विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चैन्नई, बैंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिए विशेष दर।
ए.	200	300	250	375	500
बी.	160	240	200	300	400
सी.	120	180	150	225	300
डी.	100	150	125	185	250
ई.	70	105	85	130	175

(03) ठहरने की पात्रता - यात्रा के दौरान ठहरने की सुविधा को भी पुनरीक्षित करते हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को श्रेणी अनुसार निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की गई है -

श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चैन्नई, बैंगलूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिए विशेष दर।	प्रदेश के 04 बड़े नगर इन्दौर, भोपाल, जबलपुर ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के (कोलम 02 को छोड़कर) स्थानों में होटल में ठहरने पर)	प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगरों में मित्र/रिश्तेदार के घर ठहरने पर दरें।	म.प्र.पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल के लिए पात्रता
1	2	3	4	5	6
ए.	5000	3750	2500	500	ए.सी.डीलक्स कक्ष
बी.	3750	2800	1875	450	ए.सी. कक्ष
सी.	2500	1875	1250	375	-
डी.	1250	925	625	300	-
ई.	625	475	300	250	-

निरंतर - 02

(04) मील (स्थानीय) भत्ता – संस्था में वर्तमान में 02.00 रु. प्रति किलोमीटर स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर मील (स्थानीय) यात्रा भत्ता दिया जा रहा है। पूरक नियम 25 के अंतर्गत पुनरीक्षित दरें सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों द्वारा निजी मोटर साइकिल से यात्रा करने पर रु. 2=50 प्रति किलोमीटर देय होगा। माह में अधिकतम सीमा 2500.00 रु. होगी।


(05) स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन – शासकीय सेवक के जनहित में स्थानांतरण पर निजी सामान की दुलाई के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	स्वीकृत दर रुपये प्रति किलोमीटर
1	"ए" एवं "बी"	25
2	"सी" एवं "डी"	15
3	"ई"	10

(06) स्थानांतरण अनुदान – शासकीय सेवक के जनहित में स्थानांतरण होने पर घरेलू सामान को बांधने, खोलने, ट्रक में चढ़ाने एवं उतरने के लिए एकमुश्त स्थानांतरण अनुदान की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं :-

क्रमांक	शासकीय सेवक की श्रेणी	पुनरीक्षित दर (राशि रु. में)
1	ए.	3750
2	बी.	3000
3	सी.	2250
4	डी.	1500
5	ई.	1125

उपरोक्त दरें दिनांक 01 सितम्बर-2018 के पश्चात की गई यात्राओं पर लागू होगी।


  
(आलोक खरे)  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
भोपाल दिनांक 6/9/18

पृ.क्र./2756/रा.मु/स्था./लेखा/2018

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- मान. राज्य मुख्य आयुक्त, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।
- मान. राज्य आयुक्त, (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।
- मान. राज्य कोषाध्यक्ष, भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश ।
- राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) एवं राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।
- समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का/गा) भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।
- समस्त जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।
- लेखाधिकारी/कार्यालय अधीक्षक/वरिष्ठ लेखा परीक्षक भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।
- समस्त अधिकारी/कर्मचारी भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश की ओर ।

  
(आलोक खरे)  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.